भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2339

जिसका उत्तर 15 मार्च, 2023 को दिया जाना है

कोयला गैसीकरण प्रक्रिया

2339. श्री लावू श्रीकृष्ण देवरायालू:
डॉ. रमापति राम त्रिपाठी:
सुश्री सुनीता दुग्गल:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
श्री जगन्नाथ सरकार:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्री अनुराग शर्मा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सिनगैस उत्पादन की कुल मात्रा के आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो सिनगैस के उत्पादन के संदर्भ में पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास कोयला-गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीतिगत ढांचा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने एक नीति तैयार की है, जिसमें गैसीकरण

के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए सभी भावी वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50% छूट का प्रावधान किया गया है, बशर्ते गैसीकरण के लिए इस्तेमाल कोयले की मात्रा कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% हो। इसके अलावा, नए कोयला गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला उपलब्ध कराने के लिए एनआरएस क्षेत्र के तहत अलग नीलामी विंडो बनाई गई है।

****